

**नवीन मण्डी स्थल, मेरठ के फल, सब्जी, खाद्यान एवं अतिरिक्त फल सब्जी परिसर लोहिया नगर के सुपर मार्केट,
फल सब्जी परिसर प्रखण्ड में निर्मित दुकानों की नीलामी/आवंटन सूचना**

नवीन मण्डी स्थल, मेरठ के फल, सब्जी, खाद्यान एवं अतिरिक्त फल सब्जी परिसर के फल सब्जी परिसर प्रखण्ड के ऐसे लाइसेंसधारी व्यापारीगण जिनको पूर्व में मण्डी समिति, मेरठ द्वारा कोई दुकान आवंटित न हुई हो, तथा अतिरिक्त फल सब्जी मण्डी, लोहियानगर के सुपर मार्केट की रिक्त दुकानों के आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि नवीन मण्डी स्थल मेरठ में रिक्त दुकानों का आवंटन/नीलामी दिनांक 24.08.2021 को समय दोपहर 01.00 बजे कार्यालय सभागार नवीन मण्डी स्थल मेरठ में सम्भागीय उप निदेशक (प्रशा0/विप0) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, मेरठ की अध्यक्षता में किया जायेगा। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक फर्म/व्यक्ति को मण्डी समिति कार्यालय में रु0 295/- नगद जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भर कर आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट (कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मेरठ) के नाम के साथ दिनांक 13.08.2021 की साय: 4.00 बजे तक कार्यालय मण्डी समिति, मेरठ में जमा करना अनिवार्य होगा। दुकानों के आवंटन में आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2019 टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2019 के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य है। सक्षम स्तर से आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र के प्रमाणित प्रति समिति को उपलब्ध करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा। खाद्यान परिसर की दुकानों के आवेदको को विगत तीन वित्तीय वर्षों (1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक) का वार्षिक वर्षवार मण्डी शुल्क एवं टर्न ओवर तथा फल-सब्जी मण्डी के आवेदको को (27 मई 2020 से 31 मार्च 2021) तक का वार्षिक यूजर चार्ज आवेदन पत्र के साथ साफ एवं सही भर कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुकान आवंटन/नीलामी में केवल फर्म के आवेदक अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि ही बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आवंटन कमेटी में निहित होगा। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस (कार्यावधि) में कार्यालय मण्डी समिति, मेरठ के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

क्र० सं०	परिसर/स्थल	अनुसूचित (दुकान सं०)	अनारक्षित (दुकान सं०)	अन्य पिछड़ा वर्ग (दुकान सं०)	कुल दुकान	पंजीकृत राशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7
1	नवीन मण्डी स्थल, दिल्ली रोड, खाद्यान परिसर 'ब' श्रेणी की	137	—	139	02	100000 /
2	नवीन मण्डी स्थल, दिल्ली रोड, सब्जी परिसर 'स' श्रेणी की	—	61	65	02	15000 /
3	अतिरिक्त फल-सब्जी परिसर, लोहियानगर 'स' श्रेणी की	16	—	—	01	40000 /
4	अतिरिक्त फल-सब्जी परिसर, लोहियानगर सुपर मार्केट की	74, 76 (दिव्यांग) 78	73	—	04	222000 /

Gm/14mar
31/08/21
सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
मेरठ

03/8/21
नगर मजिस्ट्रेट/सभापति
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
मेरठ

8033
48/08/21
webster
up/004 d(14)

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मेरठ

पत्रांक कृ०उ०म०स०/दु०आ०/2021-22/396

दिनांक:-03.08.2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हिन्दूस्तान एवं दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ उक्त सूचना का प्रकाशन अपने सम्मानित समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम शासकीय दरों पर न्यून स्थान में प्रकाशित कराते हुए भुगतान हेतु दो प्रतियों सहित समिति कार्यालय को प्रेषित/उपलब्ध करने कष्ट करें।
2. उप निदेशक (प्रशा०/विप०), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, मेरठ/अध्यक्ष आवंटन समिति।
3. अपर जिलाधिकारी नगर, मेरठ/सदस्य आवंटन समिति।
4. नगर मजिस्ट्रेट/सभापति, मण्डी समिति मेरठ।
5. उप निदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, मेरठ/सदस्य आवंटन कमेटी।
6. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ को मण्डी परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।
7. सम्भागीय लेखाधिकारी मण्डी परिषद मेरठ/सदस्य आवंटन कमेटी।
8. श्री देशराज सिंह, प्रधान लिपिक मण्डी समिति मेरठ को उचित प्रचार-प्रसार व्यवस्था एवं पत्रावली अनुरक्षित करने हेतु।

Om Kumar
31/8/2021
सचिव

कृषि उत्पादन मण्डी समिति
मेरठ